

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नाम— द्वितीय वृत्त, मेरठपरिषद दिवस के आयोजन का दिनांक—16.04.2015

क्रमांक	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाइल नं०	शिकायत का विषय	यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय—( तत्काल /7 दिन/ 15 दिन)	कार्य से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का अभियंता एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1	महाराजा अग्रसैन एजुकेशनल सोसाईटी, (रजि०), 119, बाग, भटियारी, जी०टी० रोड, पालिका बाजार के पास गाजियाबाद, मो० नं०—०९८१००४६७३३	अनिर्माण शुल्क माफ करने व निर्माण समयावधि बढ़ाने के सम्बन्ध में		15 दिन	उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग, गाजियाबाद के पत्रांक 7303 / स०प्र० गाजि० दिनांक 15.9. 15 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण पर मुख्यालय स्तर से लिया जाना है।	
2	श्री हाजी मौ० असलम, 610 / 13, शास्त्रीनगर मेरठ, मो०नं०—९३५८३६३६९९	सैकटर-13 शास्त्रीनगर मेरठ में सड़क पर पानी भर जाने के सम्बन्ध में		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8, मेरठ के पत्रांक 1095 / जी-19 / 34 दिनांक 14.5.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि शास्त्रीनगर रिस्त भवन सं०-610 / 13 के सामने परिषद भूखण्ड की बाउन्ड्रीवाल की निविदा स्वीकृत हो चुकी है, जिसका कार्य शीघ्र करा दिया जायेगा। सैकटर-13 में प्रश्नगत सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य भी अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की बचत से कराया जाना प्रस्तावित है, यदि अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कोई बचत प्राप्त नहीं होती है तो इसे आगामी अवस्थापना बजट में सम्मिलित करते हुए कराया जाना	निस्तारित

					प्रस्तावित है। तदानुसार शिकायत निस्तारित की जाती है।	
3	डा० यतेन्द्र कुमार, 765/6 जागृति विहार मेरठ, मो०न०—9456419777	जागृति विहार योजना संख्या—6 में स्थित गुप्त हाउसिंग भूखण्ड संख्या—जी०एच०—०१ के कारण हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—५ मेरठ के पत्रांक ५७१/ जी—१५/ ६७ दिनांक ५.५.१५ द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि आवंटी द्वारा भूखण्ड पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही फंट सैट बैक, साईंड सैट बैक एवं बैक सैट बैक छोड़े गये हैं। जहाँ तक आवंटी द्वारा अपने भूखण्ड के लॉन में वृक्षारोपण का प्रश्न है, उसमें आवंटी द्वारा वातावरण के दृष्टिगत, हरियाली एवं सौन्दर्योक्तरण के उद्देश्य से वृक्ष लगाये गये हैं। जिसमें परिषद का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सर्विस रोड पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में कहना है कि गढ़ रोड के सामान्तर नगर निगम, मेरठ द्वारा नाले का निर्माण किया गया है। जिससे सर्विस रोड पर से समस्त अतिक्रमण स्वतः ही हट गया है।	निस्तारित
4	सरदार मंगल सिंह गिल, अध्यक्ष रामणि गुरु रामदास जी समाज सुधार समिति मेरठ, ५८/३ जागृति विहार मेरठ, मो० न०—८७९१९४८०१०	योजना संख्या—११, जागृति विहार विस्तार मेरठ में गुरुद्वारे हेतु आंवटित किये जाने के सम्बन्ध में।		15 दिन	वास्तुकला एवं नियोजन इकाई प्रथम, लखनऊ के पत्रांक ७३६ दिनांक २२.४.१५ द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि उनके पत्रांक ६८३ दिनांक १०.४.१५ द्वारा अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त मेरठ से कोई उपयुक्त भूखण्ड चिह्नित कराते हुए उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन के निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में वृत्त के पत्रांक ९१८/ पी०जी०—४/ ४३ दिनांक २३. ४.१५ द्वारा अधिशासी अभियन्ता,	निस्तारित

					निर्माण खण्ड-8 मेरठ को वास्तुविद नियोजक के उक्त पत्र दिनांक 10.4.15 के क्रम में योजना के ले-आउट में धार्मिक भूखण्डों का प्राविधान कराये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर कराया जाने हेतु निर्देशित किया गया है।	
5	श्री सरफराज अहमद (ए०डी०), एल-1501 शास्त्रीनगर मेरठ, मो० नं०-९८९७५१७५१७	अनाधिकृत व्यवसायिक निर्माण के विरुद्ध शिकायत		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5, मेरठ के पत्रांक 535/ जी-15/ दिनांक 29.4.15 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध परिषद अधिनियम-1965 की धारा-82-83 के अन्तर्गत पत्र सं०-७० दिनांक 24.4.15 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है तथा वर्तमान में कार्य बन्द है।	निस्तारित
6	श्री प्रवीण कुमार गौतम, जी-21/14, शास्त्रीनगर मेरठ, मो०नं०-९९१७०२००७७	शास्त्रीनगर योजना संख्या-7, में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या—जी-21/14 को गृहकर के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5 मेरठ के पत्रांक 570/ जी-15/ 70 दिनांक 05.5.15 द्वारा नगर निगम, मेरठ को गृहकर की वांछित धनराशि का चैक प्रेषित करते हुए भविष्य में उक्त भवन का गृहकर आवंटी श्री प्रवीण कुमार के पक्ष में दर्ज करते आवंटी के नाम भेजने हेतु लिखा गया है। तदानुसार आवेदक को नगर निगम, मेरठ में सम्पर्क कर उक्त भवन का गृहकर अपने नाम हस्तान्तरित कराने हेतु लिखा गया है।	निस्तारित
7	श्री बलराम सिंह, सी-255 गॉव प्रहलाद गढ़ी, वसुन्धरा गाजियाबाद, मो० नं०-९९१०६६९३७७	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद से प्रभावित विस्थापित किसानों की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में।		15 दिन	परिषद दिवस दिनांक 21.1.16 में सप्तम वृत्त द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-01, गाजियाबाद ने उपाध्यक्ष,	

					गाजियाबाद किसान एकता मंच द्वारा परिषद दिवस दिनांक 16.4.15 को प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु खण्ड के पत्रांक 488 / पी0डी0 / 11 दिनांक 18.4.15 द्वारा प्रकरण उप-आवास आयुक्त (स0प्र0), गाजियाबाद को सन्दर्भित है। किसान एकता मंच की मांगों के निस्तारण का प्रकरण परिषद मुख्यालय सन्दर्भित है।	
8	श्री हाजी अब्बास, कैला मो0 नं0—9958545513	सिद्धार्थ विहार योजना में अधिग्रहित भूमि के अन्तर्गत ग्राम कैला की 6 प्रतिशत विकसित भूमि के उपरान्त वारिसों के नामान्तरण के सम्बन्ध में।		15 दिन	द्वितीय वृत्त कार्यालय मेरठ के पत्रांक 2514 / जी-75 / 160 दिनांक 07.10.15 द्वारा उप आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गाजियाबाद से सम्बन्धित आवेदक को सूचना प्रेषण का पत्र, जिसमें प्रकरण का निस्तारण किया गया है, वृत्त कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, ताकि तदानुसार सूचना सेवोत्तम प्रकोष्ठ, मुख्यालय को प्रेषित की जा सके।	
9	श्री नवनीत कुमार गुप्ता, बी—215, शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0—9873979158	परिषद द्वारा आवंटित विवादित भूखण्ड संख्या—796 / 4 / 7 योजना संख्या—6 जागृति विहार मेरठ के स्थान पर अन्य भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।		15 दिन	सम्पत्ति कार्यालय मेरठ द्वारा कार्यवाही की जा रही है।	